

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक -शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री निहाल सिंह व्याख्याता राजनीति विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि गादूवास, मुण्डावर, अलवर से राउमावि सालोर, राजसमद किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री निहाल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 20517/2019 निहाल सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 20517/2019 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 03.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक : 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री निहाल सिंह के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में विभागीय अक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री निहाल सिंह राउमावि गादूवास, मुण्डावर, अलवर में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापित रहेंगे। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय न्यायालय के आगामी/अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे।


(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 13 /12/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानान्तरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा जयपुर
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.।
8. गार्ड फ़ाइल।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर